भारत सरकार,
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र)

पंचम तल, केन्द्रीय भवन,
सैक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
टेलीफैक्स–2326696

पत्र सं0 2–840 / यू0पी0 / एस0ए0जी0 / 2008–10 / एफ0सी. |191

दिनॉक : 16.05.2012

सेवा में ,
नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक,
वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय : राज्य सलाहाकार समूह की बैठक के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है, कि राज्य सलाहाकार समूह की आगामी बैठक जो कि दिनांक 23.05.2012 को प्रातः 11:00 बजे, से मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), लखनऊ की अध्यक्षता में केन्द्रीय भवन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ में आहूत की जाएगी जिसमें निम्नलिखित प्रस्तावों को सम्मिलित किया जायेगा।

कम	प्रस्ताव का नाम	जनपद	क्षेत्रफल (हे0)	पत्रावली संख्या
1.	जनपद ललितपुर के ग्राम–खुरा के आराजी संख्या–63 / 2 रकबा 4.427 हे0 तथा आराजी संख्या– 158 / 2 रकबा 2.902 हे0 कुल 7.329 हे0 आरक्षित वन भूमि में गेनाइट साइज्ड डाइमोन्शनल स्टोन खनन हेतु 30 वर्षों की लीज पर वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 22 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।	ललितपुर	7.329	8बी / यू0पी0 / 05 / 117 / 2011 / एफसी
2.	बहराइच में बहराइच वन प्रभाग के अन्तर्गत एस0एस0बी0 द्वारा सीमा चौकी तथा कम्पनी मुख्यालय के निर्माण हेतु 10.125 हे0 (25 एकड़) आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा उस पर अवस्थित 93 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।	बहराइच	10.125	8बी / यू0पी0 / 09 / 31 / 2012 / एफसी
3.	जनपद मेरठ में उपशा द्वारा किये जा रहे दिल्ली–सहारनपुर–यमुनोत्री मार्ग (एस0एच0–57) किमी0 25 से 76 चौड़ीकरण / उच्चीकरण हेतु 25.50 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 6460 वृक्षों के पातन एवं 16843 पौधों के क्षति की अनुमति के संबंध में।	मेरठ	25.50	8बी / यू0पी0 / 06 / 32 / 2012 / एफसी
4.	जनपद झांसी में ढुकुवा जल विद्युत परियोजना हेतु टी0एच0डी0सी0 इण्डिया लि0 को 39.00 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 8102 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।	झांसी	39.00	8बी / यू0पी0 / 01 / 39 / 2012 / एफसी

आपसे अनुरोध है, कि सम्बन्धित प्रस्तावों के प्रयोक्ता अभिकरण सदस्य / अधिकारी एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी आवश्यक अभिलेखों के साथ बैठक में उपस्थित हों। विगत बैठकों में यह पाया गया है कि राज्य सलाहाकार समूह के बैठक के लिए नामांकित अधिकारी बैठक में उपस्थित नही रहते हैं, जबकि मुख्य सचिव महोदय एस0 ए0 जी0 की बैठक हर माह आयोजित करने के लिए अनुरोध किया करते हैं अतः आपसे अनुरोध है कि बैठक के लिए नामांकित अधिकारियों कि उपस्थिति सुनिश्चित करें अन्यथा प्रस्तावित बैठक निरस्त भी की जा सकती है।

भवदीय,

(वाई0के0 सिंह चौहान)
मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)